रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4727] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 3, 2018/अग्रहायण 12, 1940
No. 4727] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 3, 2018/AGRAHAYANA 12, 1940

IndiaCode

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 201 8

का.आ. 5953(अ).— केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी तीन वर्षों की अवधि के लिए पश्चिमी बंगाल तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

क्र. सं.	सदस्य	प्रास्थिति
1	2	3
(1)	अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव पर्यावरण विभाग, पश्चिमी बंगाल सरकार, ।	अध्यक्ष पदेन
(2)	अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव /सचिव शहरी विकास और नगरीय मामले विभाग, पश्चिमी बंगाल सरकार या संयुक्त सचिव की पंक्ति से अन्यून उसका प्रतिनिधि	सदस्य पदेन
(3)	अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव /सचिव सुंदरबन मामले विभाग, पश्चिमी बंगाल सरकार या संयुक्त सचिव की पंक्ति से अन्यून उसका प्रतिनिधि	सदस्य पदेन
(4)	अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव /सचिव मत्स्य विभाग, पश्चिमी बंगाल सरकार या संयुक्त सचिव की पंक्ति से अन्यून उसका प्रतिनिधि	सदस्य पदेन
(5)	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सुंदरबन जीवमंडल आरक्षिति, वन निदेशालय,	सदस्य पदेन

	पश्चिमी बंगाल सरकार ।	
(6)	निदेशक, समुद्र वैज्ञानिक अध्ययन विद्यालय, जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता-700032	सदस्य पदेन
(7)	प्रो. अमलेश चौधरी, पूर्व आचार्य और विभाग प्रमुख, समुद्र विज्ञान, कलकत्ता विश्वविद्यालय, डी-44, अमरावती, डाकघर सोडपुर, 24 परगना, कोलकाता-700110	सदस्य (विशेषज्ञ)
(8)	श्री संदीप चटर्जी, पूर्व मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, पश्चिमी बंगाल सरकार, 58/101/प्रिंस अनवर शाह रोड, कोलकाता-700045	सदस्य (विशेषज्ञ)
(9)	डा. पार्थसारथी चक्रवर्ती, पूर्व प्रमुख वैज्ञानिक, जिओइंफोमेटिक्स एंड आर एस सैल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, पश्चिमी बंगाल सरकार 9 ए, नार्दर्न एवेन्यू, कोलकाता-700037	सदस्य (विशेषज्ञ)
(10)	प्रमुख पर्यावरण अधिकारी, पर्यावरण विभाग	सदस्य सचिव

2. प्राधिकरण का मुख्यालय कोलकाता में होगा ।

3. प्राधिकरण की बैठक के लिए गणपूर्ति, इसके सदस्यों की कुल संख्या का एक-तिहाई होगी ।

4. पदेन सदस्य से भिन्न सदस्य को, केंद्रीय सरकार द्वारा नियत मानदंडों के अनुसार भत्ते का भुगतान किया जाएगा ।

5. प्राधिकरण, पश्चिमी बंगाल राज्य में तटीय पर्यावरण की क्वालिटी को संरक्षित करने और सुधारने तथा तटीय विनिमय जोन क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, उपशमन और नियंत्रण के उद्देश्यों के लिए निम्नलिखित उपाय करेगा, अर्थात्:-

(i) प्राधिकरण, परियोजना प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए आवेदन प्राप्ति के पश्चात्, यदि वह अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना के अनुसरण में हैं और भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जारी की गई तटीय विनिमय जोन अधिसूचना संख्यांक का.आ. 19(अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) की अपेक्षाओं के भीतर है तो उसका परीक्षण करेगा और संबद्ध प्राधिकरण ऐसी परियोजना के अनुमोदन के लिए, जैसा कि उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है, ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर सिफारिश करेगा;

(ii) प्राधिकरण, उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए के अनुसार तटीय विनियमन जोन में सभी विकासात्मक क्रियाकलापों को विनियमित करेगा;

(iii) प्राधिकरण, उक्त अधिसूचना के उपबंधों का प्रवर्तन और मानीटरी के लिए उत्तरदायी होगा;

(iv) प्राधिकरण, तटीय विनिमय जोन क्षेत्रों और तटीय जोन प्रबंध योजना के वर्गीकरण में परिवर्तन या उपांतरणों के लिए राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों की परीक्षा करेगा और राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को उस पर विनिर्दिष्ट सिफारिश देगा;

(v) प्राधिकरण, उक्त अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अभिकथित अतिक्रमण के मामलों में जांच करेगा और उक्त अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अतिक्रमण या उल्लंघन को अंतर्वलित करने वाले मामलों का पुनर्विलोकन करेगा;

(vi) प्राधिकरण, उक्त अधिसूचना के अतिक्रमण या उल्लंघन के मामलों में स्वप्रेरणा से या किसी व्यष्टि या निकाय या संगठन द्वारा किए गए परिवाद के आधार पर जांच या पुनर्विलोकन करेगा;

(vii) प्राधिकरण, उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए प्राधिकृत है;

IndiaCode

(viii) प्राधिकरण, उसके समक्ष तथ्यों को सत्यापित करने के लिए जैसा अपेक्षित है, उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन कार्रवाई करेगा ।

6. प्राधिकरण, अपने कृत्यों में पारदर्शिता बनाए रखने के उद्देश्य के लिए एक समर्पित वेबसाइट तैयार करेगा और इसके कृत्य, जिसके अंतर्गत बैठकों में कार्यसूची, बैठकों का कार्यवृत्त, प्रत्येक बैठकों में किए गए विनिश्चय, उक्त अधिसूचना के अतिक्रमण तथा उल्लंघन के मामलों में सिफारिशें और ऐसे अतिक्रमण तथा उल्लंघन पर की गई कार्रवाई और न्यायालय मामले जिसके अंतर्गत न्यायालयों के आदेश हैं और पश्चिमी बंगाल राज्य की अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना से संबंधित सूचना डालेगा ।

7. प्राधिकरण छह माह में कम से कम एक बार अपने क्रियाकलापों की रिपोर्ट राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को भेजेगा ।

[फा.सं. 12-8/2005 आईए-III (भाग)]

रितेश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

ORDER

New Delhi the 3rd December, 2018

S.O. 5953(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment(Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby constitutes the West Bengal Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) consisting of the following members, for a period of three years, with effect from the date of publication of this order in the Official Gazette, namely:-

S.No.	Members	Status
1	2	3
(1)	Additional Chief Secretary/Principal Secretary, Department of Environment, Government of West Bengal	Chairman, *ex-officio*;
(2)	Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary, Department of Urban Development and Municipal Affairs, Government of West Bengal or his representative not below the rank of Joint Secretary	Member, *ex-officio*;
(3)	Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary, Department of Sundarban Affairs, Government of West Bengal or his representative not below the rank of Joint Secretary	Member, *ex-officio*;
(4)	Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary, Department of Fisheries, Government of West Bengal or his representative not below the rank of Joint Secretary	Member, *ex-officio*;
(5)	Additional Principal Chief Conservator of Forests, Sundarban Biosphere Reserve, Directorate of Forests, Government of West Bengal	Member, *ex-officio*;
(6)	Director, School of Oceanographic Studies, Jadavpur University, Kolkata-700032	Member, *ex-officio*;
(7)	Prof. Amalesh Chowdhury, Ex-Prof. and Head of the Department, Marine Science, Calcutta University, D-44, Amarabati, P.O. Sodpur, 24, Parganas, Kolkata-700110	Member (Expert);
(8)	Shri Sandip Chatterjee, Ex-Engineer-in-Chief, Department of Public Health Engineering, Government of West Bengal, 58/101, Prince Anwar Shah Road, Kolkata-700045	Member (Expert);
(9)	Dr. Parthasarathi Chakrabarti, Former Chief Scientist, Geoinformatics and RS Cell, Department of Science & Technology, Government of West Bengal, 9A, Northern Avenue, Kolkata-700037.	Member (Expert);
(10)	The Chief Environment Officer, Department of Environment.	Member Secretary

2. The Authority shall have its headquarter at Kolkata.

3. The quorum of the meeting of the authority shall be one third of the total number of its members.

4. A member, other than an *ex-officio* member, shall be paid allowances as per the norms decided by the Central Government.

5. The Authority shall, for the purpose of protecting and improving the quality of the coastal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in the Coastal Regulation Zone areas in the state of West Bengal, take the following measures, namely: -

(i) the Authority shall, after receiving the application for approval of project proposal, examine the same if it is in accordance with the approved Coastal Zone Management Plan and within the requirements of the Coastal Regulation Zone notification issued by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests and published *vide* number S.O.19(E), dated the 6th January, 2011 (hereinafter referred to as the said notification), and make recommendations for approval of such project to the concerned authority, as specified in the said notification, within a period of sixty days from the date of receipt of such application;

(ii) the Authority shall regulate all developmental activities in the Coastal Regulation Zone areas as specified in the said notification;

(iii) the Authority shall be responsible for enforcing and monitoring the provisions of the said notification;

(iv) the Authority shall examine the proposals received from the state Government for changes or modifications in the classification of Coastal Regulation Zone areas and in the Coastal Zone Management Plan and make specific recommendations thereon, to the National Coastal Zone Management Authority;

(v) the Authority shall inquire into cases of alleged violation of the provisions of the said Act or the rules made thereunder, and review the cases involving violations or contraventions of the provisions of the said Act and the rules made thereunder;

(vi) the Authority shall inquire or review cases of violations or contraventions of the said notification suo-moto, or on the basis of a complaint made by any individual or body or organisation;

(vii) the Authority is authorised to file complaints under section 19 of the said Act;

(viii) the Authority shall take such action as may be required under section 10 of the said Act, to verify the facts of the cases before it.

6. The Authority shall, for the purpose of maintaining transparency in its functioning, create a dedicated website and post the information relating to its functions, including the agenda in its meetings, minutes of the meetings, decisions taken in each meeting, recommendations for matters on violations and contravention of the said notification and actions taken on such violations and contraventions, court matters including the orders of the courts and the approved Coastal Zone Management Plan of the State of West Bengal.

7. The Authority shall furnish reports of its activities at least once in six months to the National Coastal Zone Management Authority.

[F. No. 12-8/2005-IA.III(Pt.)]

RITESH KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2018.12.07 13:49:52 +05'30'